निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन,
(स्वास्थ्य विभाग)
बिहार, पटना।

संचिका संख्या– 15/औ0–16–01/17 ...1130(15)... /स्वा0

प्रेषक,

रवीन्द्र कुमार सिन्हा,
राज्य औषधि नियंत्रक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी सहायक औषधि नियंत्रक, बिहार।
सभी औषधि निरीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक– ...28/...11... /2017

विषयः– **राज्य में e-Cigarettes के रूप में उपलब्ध Nicotine के विरूद्ध औषधि एवं अंगराग अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लंघनकर्त्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि e-Cigarettes एवं अन्य प्रकार के निकोटिन (Nicotine) युक्त उत्पाद जो कि Drugs Controller General (India) के द्वारा अनुमोदित नहीं है वैसे उत्पाद Electronics Nicotine Delivery System (ENDS) के माध्यम से दुरूपयोग की जा रही है।

बिहार में भी राज्य तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति (STCCC) के निर्णयानुसार e-Cigarettes को प्रतिबंधित किया जाना है।

अतः उक्त के आलोक में ऐसे e-Cigarettes का क्रय–बिक्रय (Including online Sale), निर्माण, वितरण, विक्रय हेतु प्रदर्शन, विज्ञापन इत्यादि पर पूर्ण नियंत्रण हेतु राज्य में e-Cigarettes के रूप में उपलब्ध Nicotine उत्पादों के विरूद्ध औषधि एवं अंगराग अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों, नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत उल्लंघनकर्त्ताओं के विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई करे।

विश्वासभाजन

28/11/2017

राज्य औषधि नियंत्रक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1130(15) पटना, दिनांक– 28/11/17

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– श्री लोकेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/डा0 एम0 के0 शाही, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण) राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/11/2017

राज्य औषधि नियंत्रक,
बिहार, पटना।